भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2136
जिसका उत्तर शुक्रवार, 31 जुलाई, 2026 को दिया जाना है

वित्तीय धोखाधड़ी के मामले

2136. श्री बजरंग मनोहर सोनवणे :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र के बीड जिले के साथ-साथ देश के अन्य हिस्सों में सहकारी ऋण समितियों, बहु-राज्य सहकारी समितियों और वित्तीय संस्थानों द्वारा जमाकर्ताओं के साथ की गई धोखाधड़ी की घटनाओं की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो विशेष न्यायालयों की स्थापना और ऐसे मामलों के शीघ्र निपटारे सहित प्रभावित जमाकर्ताओं को त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) जमाकर्ताओं के धन की वसूली करने और अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई शुरू करने के लिए राज्य सरकारों तथा संबंधित एजेंसियों के समन्वय से की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने तथा भविष्य में ऐसी वित्तीय धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए प्रस्तावित अतिरिक्त उपायों का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : बहुराज्य सहकारी सोसायटी(एमएससीएस) अधिनियम, 2002 के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत सहकारी सोसायटियां स्वायत्त सहकारी संगठनों के रूप में कार्य करती हैं और अपने सदस्यों के प्रति जवाबदेह होती हैं। महाराष्ट्र के बीड जिले में, एमएससीएस अधिनियम, 2002 के अधीन 47 बहुराज्य सहकारी प्रत्यय और मितव्ययिता सोसायटियां रजिस्ट्रीकृत हैं। इनमें से

5 सोसायटियां वर्तमान में अधिनियम के उपबंधों के अनुसार केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए आदेशों के परिसमापन के बाद समापन के अधीन हैं। विधि के अनुसार सोसायटियों की आस्तियों की वसूली, दायित्वों के निपटान और उपलब्ध आस्तियों के वितरण के लिए अधिनियम के उपबंधों के अनुसार परिसमापक की नियुक्ति की गई है।

(ख) : एमएससीएस अधिनियम, 2002 सोसायटियों की जांच, निरीक्षण, परिसमापन करने, परिसमापक की नियुक्ति, अपराधों, शास्तियों और अपराधों के संज्ञान से संबंधित उपबंधों के लिए उपबंध करता है। जब कभी किसी शिकायत में लागू विधियों के अधीन संज्ञेय अपराधों जैसे कपट, छल या आपराधिक न्यास भंग के किए जाने का प्रकटीकरण होता है, तो मामले को विधि के अनुसार अन्वेषण और अभियोजन के लिए संबंधित,यथास्थिति, राज्य पुलिस, आर्थिक अपराध स्कंध (ईओडब्ल्यू), केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) या अन्य सक्षम अन्वेषक अभिकरणों को भेजा जाता है।

(ग) : समापन के अधीन आस्तियों की वसूली और सोसाइटियों के शोध्यों की वसूली एमएससीएस अधिनियम, 2002 और लागू नियमों के उपबंधों के अनुसार परिसमापक द्वारा की जाती है। आपराधिक मामलों में अन्वेषण और अभियोजन लागू आपराधिक विधियों के अधीन सक्षम अन्वेषक अभिकरणों और न्यायालयों द्वारा किया जाता है। केंद्रीय रजिस्ट्रार का कार्यालय जब कभी अन्वेषक अभिकरणों या न्यायालयों द्वारा मांगा जाए अभिलेख, दस्तावेज और अन्य जानकारी प्रस्तुत करके आवश्यक सहयोग प्रदान करता है।

(घ) : बहुराज्य सहकारी सोसायटियों के जमाकर्ताओं/सदस्यों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए, बहुराज्य सहकारी सोसायटी (एमएससीएस) (संशोधन) अधिनियम और नियम, 2023 के माध्यम से विभिन्न उपाय शुरू किए गए हैं, जिनमें शामिल हैं:

(i) सदस्यों की शिकायतों को दूर करने के लिए एक तंत्र प्रदान करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा सहकारी लोकपाल की नियुक्ति की गई है और पारदर्शिता में सुधार के लिए बहुराज्य सहकारी सोसायटियों द्वारा सूचना अधिकारी की नियुक्ति की गई है।

(ii) समवर्ती लेखा परीक्षा शुरू करने, समान लेखांकन और लेखा परीक्षा मानकों के अवधारण और संसद में शीर्ष बहुराज्य सहकारी सोसायटियों की लेखा परीक्षा रिपोर्टें प्रस्तुत करने के माध्यम से लेखा परीक्षा और लेखा ढांचे को सुदृढ़ किया गया है।

(iii) शासन और पारदर्शिता में सुधार के उपाय जिसके अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट में गैर-सर्वसम्मत बोर्ड के विनिश्चयों का प्रकटीकरण, निदेशकों की निरर्हता के लिए अतिरिक्त आधार और निदेशकों पर उन मामलों में भाग लेने पर निर्बंधन, जहां उनके या उनके नातेदारों के हितों का टकराव भी है, पुर:स्थापित किए गए हैं।

(iv) मितव्ययिता और प्रत्यय के कारबार में लगी बहुराज्य सहकारी सोसायटियों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड (तरलता, अभिदर्शन आदि) अवधारित किए गए हैं और सुरक्षित

विनिधान सुनिश्चित करने के लिए निधियों के विनिधान से संबंधित उपबंधों को पुन परिभाषित किया गया है।

(v) कपटपूर्ण अथवा विधिविरुद्ध कार्यकरण की जांच करने के लिए केन्द्रीय रजिस्ट्रार को सशक्त करके विनियामक अन्वेक्षा को सुदृढ़ किया गया है।

(vi) उन सोसाइटियों के परिसमापन का उपबंध किया गया है जहां कपट या दुर्व्यपदेशन के माध्यम से रजिस्ट्रीकरण प्राप्त किया गया था।

(vii) सोसायटियों के सामूहिक हितों की रक्षा के लिए उपाय पुर:स्थापित किए गए हैं, जिसके अंतर्गत निष्कासित सदस्यों के निष्कासन की न्यूनतम अवधि को एक वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष करना भी है।
